

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा) अनुभाग-2
संख्या-02 /2018/ए-2-15/दस-2018-जनरल(16)/2014
लखनऊ, दिनांक : 23 जनवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

वेतन समिति (2008) द्वारा राजकीय विभागों के आशुलिपिक संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2056/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 के क्रम में राज्यपाल महोदय वित्त विभाग के अन्तर्गत गठित वित्त आडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवन्यू) के आशुलिपिक संवर्ग में उपलब्ध 02 पदों को इस शासनादेश के साथ संलग्न तालिका के अनुसार निम्नवत पुनर्गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) इस शासनादेश के साथ संलग्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पदों का पदनाम/पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/पदों की संख्या के स्थान पर दिनांक 08-9-2010 से स्तम्भ-4 के अनुसार क्रमशः पदनाम/पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/पदों की संख्या निर्धारित किया जाय।
 - (2) उपर्युक्तानुसार पुनर्गठन के उपरान्त सम्बन्धित पदों पर संलग्न तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित भर्ती की प्रक्रिया एवं अर्हता के स्थान पर स्तम्भ-5 के अनुसार वित्त वेतनमान (नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ के पत्र संख्या-वि0वे0नि0(प्रकोष्ठ)/97-दस-2014 दिनांक 06 जून, 2014 तथा पत्र संख्या-14/2016/वे0आ0-2-261/दस-2016 दिनांक 29 फरवरी, 2016 द्वारा क्रमशः प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली, 2014 तथा उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग (प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली, 2016 की व्यवस्था लागू होगी।
- 2- उपर्युक्तानुसार पुनर्गठन के फलस्वरूप उच्चिकृत/संशोधित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-841/दस-59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 तथा समय-समय पर तत्क्रम में निर्गत अन्य शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।
- 3- वित्त आडिट प्रकोष्ठ (सिविल तथा रेवन्यू) के आशुलिपिक संवर्ग के पदों पर सेवा स्थानान्तरण के आधार पर कार्यरत पदधारकों पर इस शासनादेश की व्यवस्था लागू नहीं होगी तथा उक्त पदधारकों पर पैतृक विभाग द्वारा की गयी व्यवस्था लागू होगी।
- 4- यह आदेश वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-यू0आ0-714/दस-2017 दिनांक 08-01-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-02/2018/ए-2-15(1)/दस-2018-जनरल(16)/2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (3) वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (लेखा प्रकोष्ठ) उत्तर प्रदेश सचिवालय।
- (4) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
- (5) निदेशक, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उ०प्र० पदेन निदेशक, उ०प्र० राज्य लाटरी निदेशालय, कैलाशकुंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ।
- (6) कार्यालय अधीक्षक वित्त आडिट प्रकोष्ठ (सि०/रे०)।
- (7) अधिष्ठान/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,
नन्द किशोर शर्मा
अनुसचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

कार्यालय जाप संख्या-02/2018/ए-2-15/दस-2018-जनरल(16)/2014, दिनांक 23 जनवरी, 2018 का संलग्नक।

क्र०स०	वर्तमान व्यवस्था		पुनर्गठन (दिनांक 08-9-2010 से प्रभावी) के अनुसार निर्धारित पदनाम (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन ₹0 में)/पद संख्या	पुनर्गठन के उपरान्त भर्ती की प्रक्रिया एवं अर्हता
	पदनाम (पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन ₹0 में)/पद संख्या	भर्ती की प्रक्रिया एवं अर्हता		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	आशुलिपिक (वेतन बैंड -1 ₹0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन ₹0 2400/-)/ 02	वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के पत्र संख्या-ए-2-222/दस-2010-7(2)-2007 दिनांक 03 मार्च, 2010 द्वारा प्रख्यापित वित्त लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ कर्मचारी (समूह "ग" और समूह "घ") सेवानियमावली 2010 के अनुसार।	आशुलिपिक (वेतन बैंड -1 ₹0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन ₹0 2800/-) /01 वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 (वेतन बैंड-2 ₹0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन ₹0 4200/-) /01	वित्त वेतनमान (नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ के पत्र संख्या-वि०वे०नि०(प्रकोष्ठ)-97/दस-2014-11-2013, दिनांक 06 जून, 2014 तथा पत्र संख्या-14/2016/वे०आ०-2-261/दस-2016 दिनांक 29 फरवरी, 2016 द्वारा क्रमशः प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली, 2014 तथा उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 की व्यवस्था लागू होगी।
	कुल पद-02		कुल पद-02	

नन्द किशोर शर्मा
अनुसचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।